दिनांक 6 फरवरी, 1986

क्रमांक 22-ज-(1)-86/4470.—श्री तेजा राम, पुत्र श्री बाला, गांव नाहरपुर, तहसील गुड़गांवा, जिला गुड़गांवा, की दिनांक 2 मई, 1985, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री तेज राम को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1297-ज-(II)-77/19486, दिनांक 8 अगस्त, 1977 तथा 1789-(1)-ज-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती हरबाई के नाम खरीफ, 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते है।

क्रमांक 1257-ज(2)-85/4620.—श्री जय लाल, पुत्र श्री हरनन्द, गांव मोहम्मदपुर माजरा, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, की दिनांक 11 नवम्बर, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य मे अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जयलाल को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 342-आर-(III)-71/6792, दिनांक 15 मार्च, 1971 तथा 1789-ज-(1)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती चन्द्रावली के नाम खरीफ, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद मे दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते है।

दिनांक 11 फरवरी, 1986

क्रमांक 80-ज-(2)-86/4963.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य मे अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री राम सिंह, पुत्र श्री अन्जी सिंह, गांव मनाली, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, को रबी 1966 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ 1970 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है।

क्रमांक 81-ज-(2)-86/4967.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1)(ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री परखा राम, पुत्र श्री रावत राम, गांव बनमैदोरी, तहसील फतेहाबाद, जिला हिसार, को रबी 1973 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक की मत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है।

ओ० पी० सांगवा,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

## IRRIGATION DEPARTMENT

### Order

The 5th February, 1986

**No. 65/138-L/Drg.**—Whereas the land described in the Haryana Government Notification No. 1046/138-L/Drg., dated 11th December, 1985 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, has been declared to be needed at the expense of the Irrigation Department, for a public purpose, namely, for the constructing Bahu-Akbarpur pump house link drain from RD 0 to 13500 outfalling into Kahnaur Distyary at RD 113800/Right in village Bahu-Akbarpur and Bhali Anandpur tehsil and district Rohtak.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894, the Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Officer, Rohtak to take order for the acquisition of the land dsscribed in the specification appended to the declaration published with the aforesaid notification.

By the order of the Governor of Haryana,
B. R. DUA,
Superintending Engineer,
Drainage Circle,
Rohtak.